दिनांक 26.02.2018 को मान्नीय मंत्री, कृषि, की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में विभागीय योजनाओं की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

1. सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लानटिंग मैटेरियल योजना अन्तर्गत कुल 18.12 करोड़ रू0 जिलों को आवंटित किया गया है। जिसमें से कुल 2.25 करोड़ रू0 की निकासी अभी तक की गयी है। 8.15 करोड़ रू0 का पुराना अभिश्रव है जिसकी निकासी कर बी0आर0बी0एन0 को दिया जाना है। प्रभारी पदाधिकारी, बीज योजना द्वारा बताया गया कि भौतिक उपलब्धि के अनुसार खरीफ का 1.41 करोड़ रू0 एवं रब्बी का 2.50 करोड़ रू0 की निकासी हो सकेगी। लगभग 14.00 करोड़ रू0 की निकासी हो सकेगी।

2. **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन :–**

2.1 इस योजनान्तर्गत 89.45 करोड़ रू0 जिलों को आवंटित किया गया है। जिसमें से 28.07 करोड़ रू0 की निकासी हुई है। 31 जिलों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार को समायोजन हेतु भेजा गया है। बजट पदाधिकारी को महालेखाकार के यहाँ जाने एवं व्यक्तिगत प्रयास कर सभी जिलों का उपयोगिता प्रमाण–पत्र को अविलम्ब समायोजित कराने का निदेश दिया गया। जहानाबाद, गोपालगंज एवं सारण में उपयोगिता प्रमाण–पत्र का समायोजन हो जाने के बाद भी इन जिलों में निकासी शून्य है।

2.2 इस योजना अन्तर्गत भौतिक उपलब्धि 63 प्रतिशत हुआ है। गरमा मौसम में भी राशि व्यय होगा। कम से कम 80 प्रतिशत तक राशि व्यय करने का निदेश दिया गया।

3. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–**

3.1 इस योजनान्तर्गत 223 करोड़ रू0 के विरूद्ध 207.09 करोड़ का आवंटन जिलों में गया है एवं 140 करोड़ व्यय हुआ है। प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भौतिक उपलब्धि के अनुसार 150 करोड़ तक व्यय हो सकेगा। जिलों में छोटे–छोटे घटकों यथा सूक्ष्म पोषक तत्व, जैव उर्वरक, जिप्सम, पौधा संरक्षण, रसायन, खर–पतवारनाशी, कृषि यंत्रों आदि में उपलब्धि बहुत ही कम हुई है। जिस कारण शत–प्रतिशत उपलब्धि नहीं हो पा रही है।

3.2 संयुक्त निदेशक (शष्य) को क्षेत्र में जाकर कैम्प करने, प्रतिदिन योजनाओं की समीक्षा करने, कहाँ दिक्कत हो रही है, देखकर निदान कराने तथा प्रतिदिन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया जाय।

3.3 प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार के कार्यो को तय करना एवं उन्हें लक्ष्य आवंटित कर योजना का कार्यान्वयन कराने का निदेश दिया गया। जिन जिलों द्वारा लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि नहीं हुई है उनके विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव दिया जाय।

3.4 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से बीज गुणन प्रक्षेत्रों में घेराबंदी के लिए 24 जिलों के कार्यान्वयन एजेन्सी एल0ए0ई0ओ0 को राशि दी गयी है। 7 एल0ए0ई0ओ0 द्वारा Pre Receipt दिया गया है। शेष जिलों के एल0ए0ई0ओ0 को Pre Receipt भेजने हेतु निदेश दिया जाय तथा राशि की अविलम्ब निकासी की जाय।

4. उद्यान :–

4.1 इस योजना अन्तर्गत 43.85 करोड़ रू0 का उद्व्यय में से 10 करोड़ रू0 जिलों को आवंटित किया गया है। 20 करोड़ रू0 का आवंटन दिया जाना है, जो भेजा जा रहा है। इसे व्यय करने का निदेश दिया गया।

5. कौशल विकास :– वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना अन्तर्गत कुल आवंटित राशि 12 करोड़ रू0 के विरूद्ध अभी तक 6.46 करोड़ रू0 की निकासी हुई है। वित्तीय वर्ष 2016–17 का Training पूर्ण हो गया है। 2017–18 की राशि अब व्यय की जा रही है।

6. पूरे बजट में 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 1 प्रतिशत अनुसूचित जन–जाति पर व्यय किया जाना है। चालू वित्तीय वर्ष में सभी योजनाओं में इनके राशि को व्यय करने का निदेश दिया गया।

7. किसानों **के लाभार्थ** एवं उनकी **आवश्यकता** के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 की योजना तैयार की जाय। 15 मार्च, 2018 तक सभी योजना का संलेख तैयार कर स्वीकृति आदेश निर्गत कर दिया जाय तथा बजट पारित होने के उपरान्त आवंटन आदेश निर्गत किया जाय।

8. **एन0एम0ओ0ओ0पी0 योजना में** 344.74 लाख रू0 आवंटन के विरूद्ध 27.28 लाख रू0 व्यय हुआ है। Targeting Rice Fellow Area योजना का कार्यान्वयन किशनगंज जिला में किया जाना है। लक्ष्य के अनुसार इसकी उपलब्धि की जाय।

9. **एस0एम0ए0एम0** :– कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु 21.70 करोड़ रू0 की योजना 2016–17 में स्वीकृत हुआ था। अभी तक कुल 17 कृषि यंत्र बैंक हेतु स्वीकृति पत्र निर्गत किया गया है। जिला पदाधिकारी को इसकी स्वीकृति हेतु प्राधिकृत किया गया है। संयुक्त निदेशक (शष्य) को इसकी स्वीकृति देने के लिए प्राधिकृत करने हेतु भारत सरकार को पत्र लिखा जाय। मध्यप्रदेश में कार्यान्वित योजना के अनुसार भारत सरकार से सहमति लेने का निदेश दिया गया।

10. सभी योजनाओं में अनुदान की राशि के भुगतान में सर्वप्रथम किसान को प्राथमिकता दी जाय। उसके बाद बैंक एवं अन्त में डीलर को रखा जाय।

11. **उद्यान निदेशालय अन्तर्गत तम्बाकू की योजना** वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में लागू है। योजना में किसानों को तम्बाकु की खेती करने से रोकने हेतु प्रोत्साहित किया जाय। तीनों जिलों में सेमिनार/प्रशिक्षण कराने का निदेश दिया गया।

12. **बाजार समिति** :– बाजार समिति प्रांगण पर हर वर्ष 100 करोड़ व्यय करने हेतु बजट प्रावधान किया जाय। बाजार समिति की सफाई, सुरक्षा, जन सुविधा, Road, Drainage, Light इत्यादि की व्यवस्था हेतु योजना तैयार कर प्रस्तुत किया जाय।

13. **चालु वित्तीय वर्ष की जिन** योजनाओं का स्वीकृति आदेश निकलने वाला है, उसे 28 फरवरी, 2018 तक निर्गत कर दें। हो सके तो हाथों–हाथ संचिका प्रस्तुत कर निर्गत की कार्रवाई की जाय।

14. वित्तीय वर्ष 2017–2018 की लम्बित योजनाओं की स्वीकृति हेतु **दिनांक** 28.02.2018 को 3.00 बजे सभी योजनाओं के नोडल पदाधिकारी की बैठक करने का निदेश दिया गया।

15. कृषि समन्वयकों **का कोटिवार रिक्ति की सूचना सभी जिलों से मंगाकर इनकी नियुक्ति हेतु कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।**

16.3.2018

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–33/17– 1686 पटना, दिनांक :– 19-3-2018

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बी0आर0बी0एन0, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना/उप निदेशक, प्रशासन, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, कृषि, बिहार के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट पूर्णिया/संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप–तौल, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/मुख्यालय स्थित सभी उप निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, आत्मा/सभी योजना के नोडल पदाधिकारी/सभी जिला के नोडल पदाधिकारी/सभी राज्य प्रबंधक, उर्वरक कंपनी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान/सभी उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.3.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–33/17– 1686 पटना, दिनांक :– 19-3-2018

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल करने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16.3.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।